

सं०सं०-1/विविध-34/2013-63(1)ब०  
बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 30/ 11 /2017

विषय:- बिहार राज्य अन्तर्गत 10 विभिन्न जिलों में निर्मित होने वाले जी०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल/ हॉस्टल भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में, कुल प्राक्कलित राशि रु० 1,07,73,00,000/- (रुपये एक सौ सात करोड़ तिहत्तर लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यांश सहित रु० 40,49,80,500/- मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 40,49,80,500/- (रुपये चालीस करोड़ उन्चास लाख अस्सी हजार पाँच सौ) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं०-752(1) दिनांक-03.10.2013 एवं व्यादेश सं०-1354(1) दिनांक-30.11.2017 द्वारा बिहार राज्य अन्तर्गत 10 विभिन्न जिलों में निर्मित होने वाले जी०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल/ हॉस्टल भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में, कुल प्राक्कलित राशि रु० 1,07,73,00,000/- (रुपये एक सौ सात करोड़ तिहत्तर लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यांश सहित रु० 40,49,80,500/- मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 40,49,80,500/- (रुपये चालीस करोड़ उन्चास लाख अस्सी हजार पाँच सौ) मात्र के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश सं०-752(1) दिनांक-03.10.2013 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

3- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-105-एलोपैथी, उपशीर्ष-0112-ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० स्कूल, विपत्र कोड-20-4210031050112 अंतर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0112.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से किया जाएगा।




6- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PLA-244, विपत्र कोड-K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

7- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

8- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9- इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

  
(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक:-1 / विविध-34 / 2013-63(1)९0 / स्वा0, पटना, दिनांक-30 / 11 / 2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिलाधिकारी/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/संबंधित सिविल सर्जन, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1, 6, स्वास्थ्य विभाग/कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 30 / 11 / 2017

विषय:- बिहार राज्य अन्तर्गत 10 विभिन्न जिलों में निर्मित होने वाले जी०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल/ हॉस्टल भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में, कुल प्राक्कलित राशि रु० 1,07,73,00,000/- (रुपये एक सौ सात करोड़ तिहत्तर लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यांश सहित अतिरिक्त रु० 40,49,80,500/- (रुपये चालीस करोड़ उन्चास लाख अस्सी हजार पाँच सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं०-752(1) दिनांक-03.10.2013 द्वारा बिहार राज्य अन्तर्गत 10 विभिन्न जिलों में निर्मित होने वाले जी०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल/ हॉस्टल भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में, कुल प्राक्कलित राशि रु० 1,07,73,00,000/- (रुपये एक सौ सात करोड़ तिहत्तर लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यांश सहित अतिरिक्त रु० 40,49,80,500/- (रुपये चालीस करोड़ उन्चास लाख अस्सी हजार पाँच सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


2- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश सं०-752(1) दिनांक-03.10.2013 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

3- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-105-एलोपैथी, उपशीर्ष-0112-ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० स्कूल, विपत्र कोड-20-4210031050112 अंतर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0112.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

6- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट सं०-PLA-244, विपत्र कोड-K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।



7- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।


8- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0-1/विविध-34/2013 के पृष्ठ-19/टि0 पर प्राप्त है।

9- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10- इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन ,

  
(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक:-1/विविध-34/2013-1354(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 30/ 11 / 2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिलाधिकारी/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1, 6, स्वास्थ्य विभाग/कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के विशेष सचिव